

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार

पत्रांक:-वि० को०/मुक०नीति 02-05/15- 324

प्रेषक,

ए. के. वर्मा,
संयुक्त सचिव (प्र.को.)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल,
छपरा।

पटना, दिनांक:- 22/4/15

बिषय:- श्री श्याम बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त पम्प चालक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा का अभ्यावेदन शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त बिषय के संबंध में कहना है कि श्री श्याम बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त पम्प चालक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा का अभ्यावेदन विभागीय स्तर शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखे जाने हेतु प्राप्त हुआ है।

श्री सिंह द्वारा अंकित किया गया है कि मैं दिनांक 31.07.2014 अपराह्न से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा की स्थापना से वार्धक्य सेवानिवृत्त हुआ था। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा के आदेशांक 32 दिनांक 22.07.2013, अधिसूचित ज्ञापांक 366 दिनांक 22.07.2013 द्वारा मुझे दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से तृतीय रुपान्तरित वृत्ति उन्नयन वेतन बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2400 में स्वीकृत की गयी थी तथा नियमानुसार मेरे वेतन का निर्धारण किया गया था, जिसके आधार पर महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा मेरे पेंशन/उपादान/पेंशन रुपांतरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परन्तु दिनांक 01.01.2009 से 31.07.2014 तक के बकाया अन्तर वेतन एवं हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान अबतक नहीं किया गया है।

अतः वर्णित स्थिति एवं तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि श्री श्याम बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त पम्प चालक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा के अभ्यावेदन पर कंडिकावार साक्ष्य सहित मंतव्य एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय, ताकि इस मामले का विभागीय स्तर शिकायत निवारण समिति के समक्ष निदान हेतु रखा जा सके।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(ए. के. वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र.को.)

ज्ञापांक - 324

दिनांक - 22/4/15


प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/प्रशाखा पदाधिकारी -03/ श्री श्याम बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त पम्प चालक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा, ग्राम-लरूआ, पोस्ट-तेजपुरवाँ, थाना-मढौड़ा, जिला-छपरा (सारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए. के. वर्मा)

संयुक्त सचिव (प्र.को.)

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011

प्र. सचिव
लोक स्वास्थ्य अर्थ सेवा में,
निबन्धित



मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, बिहार, पटना,

सह-अध्यक्ष,

राज्य स्तरीय शिकायत निवारण बलशाली, समिति, बिहार राज्य मुकदमा नीति कोषांग,
बिहार, पटना।

मुख्य यांत्रिक

सरकार के सचिव,
बिहार सरकार, विधि विभाग, बिहार,

सह-सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय शिकायत निवारण बलशाली समिति, बिहार राज्य मुकदमा नीति कोषांग,
बिहार, पटना।

सरकार के प्रधान सचिव,

बिहार सरकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना,

सह-अध्यक्ष,

विभाग स्तरीय शिकायत निवारण बलशाली समिति,

बिहार राज्य मुकदमा नीति कोषांग, बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय उन्नयन की तिथि-01.01.2009 से सेवानिवृत्ति की तिथि-31.07.2014 तक के
बकाये अंतर वेतन के भुगतान एवम् हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान के संबंध में।

महाशय,

मैं दिनांक-31.07.2014 अपराह्न से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक

प्रमंडल, छपरा की स्थापना से वार्धक्य सेवानिवृत्त हुआ था। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य

यांत्रिक प्रमंडल, छपरा के आदेशांक-32, दिनांक-22.07.2013 अधिसूचित ज्ञापांक-366,

दिनांक-22.07.2013 द्वारा मुझे दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से तृतीय रुपान्तरित वृत्ति

उन्नयन वेतन बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 2400 में स्वीकृत की गई थी तथा नियमानुसार

वेतन का निर्धारण किया गया था, जिसके आधार पर महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा मेरे

पेंशन/उपादान/पेंशन रुपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु दिनांक-01.01.

2009 से 31.07.2014 तक के बकाये अंतर वेतन एवं हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान अब

तक नहीं किया गया है। मैंने लिखित रूप में अनुरोध किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

सादर प्रार्थना है कि दिनांक-01.01.2009 से 31.07.2014 तक के बकाये अंतर वेतन का

भुगतान एवं हड़ताल अवधि की भुगतान हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

श्रीमान अरविंद्र सिंह
सेवा निवृत्त-कार्यपालक
लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा

जाम - लखनऊ
पते - राजपुरवा
द्वारा - अरविंद्र
दिनांक - 27/3/15

सचिव
दिनांक: 26/03/15

31/3/15

31/3/15

31/3/15

31/3/15

31/3/15

